भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3875

उत्तर देने की तारीख : 23.03.2023

ओडिशा और तमिलनाडु में कार्यशील एमएसएमई

3875. श्रीमती मंजुलता मंडल:
श्री सी. एस. अन्नादुरई:
श्री धनुष एम. कुमार:
श्री जी. सेल्वम:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने में विफल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) वर्तमान में ओडिशा और तमिलनाडु में जिले-वार कितने एमएसएमई कार्यशील हालत में हैं;

(ग) देश में विशेष रूप से ओडिशा और तमिलनाडु में एमएसएमई द्वारा सृजित रोजगार अवसरों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार ने बंद एमएसएमई का कोई सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार का एमएसएमई के बंद होने से प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार, सब्सिडी और वित्तीय मुआवजा प्रदान करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) एमएसएमई समाधान प्लेटफार्म पर दायर किए गए आवेदनों की संख्या, स्थापना से लेकर आज तक, अधिकारियों द्वारा देखे गए और विचाराधीन लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है; और

(छ) क्या एमएसएमई समाधान पोर्टल पर वर्तमान में बहुत से आवेदन लंबित हैं यदि हां, तो इतनी बड़ी संख्या में लंबित आवेदनों के क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) और (ङ) : केंद्र सरकार देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के समग्र विकास और संवर्धन के लिए विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों तथा नीतिगत पहलों के जरिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्रयासों को अनुपूरित करती है। देश में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान सहित सरकार द्वारा हाल ही में कई कदम उठाए गए हैं। इनमें शामिल हैं:

1. वर्ष 2020 में एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) की शुरुआत। ईसीएलजीएस के अंतर्गत वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 28.02.2023 तक एमएसएमई सहित व्यवसायों को 3.62 लाख करोड़ रुपए की कुल 1.19 करोड़ गारंटियां प्रदान की गई हैं।
2. आत्मनिर्भर भारत कोष (एसआरआई) के जरिए 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन दिनांक 28.02.2023 तक एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के साथ 36 अनुषंगी निधियों (डॉटर फंड) को पैनल में शामिल किया गया है तथा 2,790 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का निवेश करके 142 संभावित एमएसएमई की सहायता प्रदान की गई है।
3. एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड।
4. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी।

5. एमएसएमई हेतु व्यवसाय करने की सुगमता के लिए दिनांक 01.07.2020 से ''उद्यम पंजीकरण'' की शुरुआत की गई। उद्यम पर 1.50 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को पंजीकृत और वर्गीकृत किया गया है और वे 10.69 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं।
6. एमएसएमई की शिकायतों का समाधान और उन्हें सहायता प्रदान करने सहित ई-शासन के कई पहलुओं को शामिल करने के लिए जून, 2020 में ''चैंपियंस'' नामक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई।
7. खुदरा और थोक व्यापारों का दिनांक 02.07.2021 से एमएसएमई के रूप में समावेशन।
8. एमएसएमई के स्तर में उन्नयन के मामले में दिनांक 18.10.2022 से 3 वर्ष के लिए गैर-कर लाभों का विस्तार।
9. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले ऋण के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने हेतु दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई। तब से अब तक 13.33 लाख आईएमई ने पंजीकरण कराया है।

(ख) : उद्यम पर उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 01.07.2020 से 20.03.2023 तक ओडिशा तथा तमिलनाडु में इस समय कार्यशील एमएसएमई की जिला-वार संख्या अनुबंध- I और II में दी गई है।

(ग) : उद्यम पोर्टल के अनुसार दिनांक 01.07.2020 से 20.03.2023 तक

I. ओडिशा में कुल 3.20 लाख एमएसएमई को पंजीकृत और वर्गीकृत किया गया है और वे 27.69 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं और;
II. तमिलनाडु में कुल 15.57 लाख एमएसएमई को पंजीकृत और वर्गीकृत किया गया है और वे 1.19 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं।

(घ) : सितम्बर, 2021 से जनवरी, 2022 के दौरान 20 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में फैले 1,029 एमएसएमई के सैम्पल आकार के लिए सिडबी द्वारा कराए गए अध्ययन के अनुसार सर्वेक्षित एमएसएमई के लगभग 65 प्रतिशत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ईसीएलजीएस के तहत लाभ प्राप्त किया है तथा लगभग 36 प्रतिशत उत्तरदाताओं (एमएसएमई) ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) स्कीम के अंतर्गत ऋण भी प्राप्त किया था। अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया था कि 67 प्रतिशत उत्तरदाता एमएसएमई को कोविड-19 महामारी के कारण तीन माह की अवधि के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। भारतीय स्टेट बैंक की ईसीएलजीएस पर दिनांक 06.01.2022 की अनुसंधान रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि लगभग 13.5 लाख एमएसएमई खातों को ईसीएलजीएस स्कीम (पुनर्संरचना सहित) के कारण बचा लिया गया था जिनमें से लगभग 93.7 प्रतिशत खातें सूक्ष्म और लघु श्रेणी के थे।

(च) और (छ) : एमएसएमई समाधान की दिनांक 30.10.2017 को हुई शुरुआत से लेकर 20.03.2023 तक उस पर दायर आवेदनों की वर्ष-वार संख्या तथा 21.03.2023 तक लंबित और पारस्परिक रूप से निपटाए गए आवेदनों की संख्या अनुबंध-III में दी गई है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3875, जिसका उत्तर दिनांक 23.03.2023 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

उद्यम के अनुसार दिनांक 01.07.2020 से 20.03.2023 तक ओडिशा राज्य में पंजीकृत और वर्गीकृत एमएसएमई तथा उनके द्वारा प्रदान किए गए रोजगार की जिला-वार संख्या

क्र.सं.	जिला	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल	रोजगार
1	अंगुल	10,054	362	22	10,438	1,09,483
2	बलांगीर	8,609	264	10	8,883	62,580
3	बालेश्वर	15,777	429	22	16,228	1,46,210
4	बारगढ़	8,794	264	16	9,074	55,468
5	भद्रक	9,612	192	6	9,810	1,12,106
6	बौध	2,482	43	1	2,526	41,041
7	कटक	29,570	935	80	30,585	2,20,549
8	देवगढ़	1,768	24	-	1,792	15,994
9	ढेंकनाल	8,006	166	3	8,175	67,742
10	गजपति	2,372	38	2	2,412	12,425
11	गंजम	26,712	621	15	27,348	1,83,805
12	जगतसिंहपुर	10,146	202	5	10,353	75,419
13	जाजपुर	13,844	384	23	14,251	1,19,142
14	झारसुगुडा	5,971	254	11	6,236	50,119
15	कालाहांडी	7,020	216	6	7,242	65,601
16	कंधमाल	3,707	32	2	3,741	34,121
17	केंद्रपाड़ा	8,691	125	3	8,819	83,302
18	केंदुझार	13,343	376	46	13,765	1,12,311
19	खोर्धा	41,026	1,614	167	42,807	4,36,398
20	कोरापुट	6,531	185	5	6,721	96,605
21	मल्कानगिरी	2,645	55	-	2,700	15,104
22	मयूरभंज	10,359	247	4	10,610	68,594
23	नबरंगपुर	3,325	113	6	3,444	23,832
24	नयागढ़	6,905	96	3	7,004	36,409
25	नुआपाड़ा	2,947	60	1	3,008	46,365
26	पुरी	16,356	180	4	16,540	1,43,509
27	रायगढ़	5,010	124	4	5,138	64,907
28	संबलपुर	8,975	353	19	9,347	62,812
29	सोनपुर	3,591	66	1	3,658	36,410
30	सुंदरगढ़	16,573	779	107	17,459	1,70,595
	कुल:-	**3,10,721**	**8,799**	**594**	**3,20,114**	**27,68,958**

रिपोर्ट की तारीख:- 20/03/2023 अपराह्न 02:35

अनुबंध-II

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3875, जिसका उत्तर दिनांक 23.03.2023 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

उद्यम के अनुसार दिनांक 01.07.2020 से 20.03.2023 तक तमिलनाडु राज्य में पंजीकृत और वर्गीकृत एमएसएमई तथा उनके द्वारा प्रदान किए गए रोजगार की जिला-वार संख्या

क्र.सं.	जिला	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल	रोजगार
1	अरियालुर	12,056	129	6	12,191	52,486
2	चेंगलपट्टू	29,877	310	10	30,197	1,96,830
3	चेन्नै	1,85,386	8,336	971	1,94,693	18,00,149
4	कोयंबतूर	1,26,074	4,709	479	1,31,262	9,73,835
5	कुड्डालोर	39,555	550	30	40,135	4,19,693
6	धर्मपुरी	27,350	317	9	27,676	2,12,761
7	डिंडीगुल	42,899	754	60	43,713	2,74,344
8	इरोड	56,151	1,777	127	58,055	4,51,354
9	कल्लाकुरिची	9,339	131	4	9,474	71,324
10	कांचीपुरम	54,475	1,720	217	56,412	6,30,434
11	कन्याकुमारी	40,194	665	31	40,890	2,28,200
12	करूर	18,234	567	30	18,831	1,74,240
13	कृष्णागिरी	36,687	1,057	62	37,806	3,34,233
14	मदुरै	72,125	1,545	95	73,765	4,76,757
15	माइलादुत्रयी	8,680	76	-	8,756	40,164
16	नागपट्टिनम	15,469	157	3	15,629	87,863
17	नामक्कल	40,740	1,397	129	42,266	3,20,978
18	पेरम्बलुर	8,099	145	7	8,251	73,251
19	पुदुक्कोट्टई	26,435	384	20	26,839	1,79,687
20	रामनाथपुरम	18,423	216	9	18,648	87,631
21	रानीपेट	14,029	130	1	14,160	84,663
22	सलेम	86,859	1,961	126	88,946	5,60,125
23	शिवगंगा	21,641	251	15	21,907	1,21,455
24	तेनकाशी	14,799	196	2	14,997	77,652
25	तंजावुर	39,880	615	32	40,527	2,57,328
26	नीलगिरी	9,919	197	11	10,127	73,040
27	तेनि	24,503	444	29	24,976	1,44,502
28	तिरुवल्लुर	62,572	1,696	144	64,412	5,22,833
29	तिरुवरुर	18,599	194	12	18,805	1,58,496
30	तिरुचिरापल्ली	50,428	976	49	51,453	3,43,710
31	तिरुनेलवेली	36,826	736	32	37,594	2,10,233
32	तिरुपथुर	9,756	83	2	9,841	88,209
33	तिरुप्पूर	80,437	4,031	319	84,787	9,23,871
34	तिरुवन्नामलाई	29,089	454	14	29,557	2,04,239
35	तूतीकोरिन	31,525	744	54	32,323	1,82,548
36	वेल्लोर	39,369	775	41	40,185	2,91,715
37	विल्लुपुरम	34,641	537	27	35,205	2,65,962
38	विरुदुनगर	40,435	1,078	91	41,604	3,12,187
	कुल:-	**15,13,555**	**40,040**	**3,300**	**15,56,895**	**1,19,08,982**

रिपोर्ट की तारीख:- 20/03/2023 अपराहन 02:35

अनुबंध-III

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3875, जिसका उत्तर दिनांक 23.03.2023 को दिया जाना है, के भाग (च) और (छ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

एमएसएमई समाधान पोर्टल की शुरुआत अर्थात दिनांक 30.10.2017 से 20.03.2023 तक दायर आवेदनों की वर्ष-वार संख्या तथा दिनांक 21.03.2023 तक लंबित और पारस्परिक रूप से निपटाए गए आवेदनों की कुल संख्या

वर्ष		**दायर आवेदनों की संख्या**	**अधिकारियों द्वारा देखे गए आवेदन**				**लंबित आवेदन**	**पारस्परिक रूप से निपटाए गए आवेदन**
से	तक		निपटाए गए आवेदन	मामलों के रूप में परिणत आवेदन	अस्वीकृत आवेदन	कुल		
30.10.2017	31.03.2018	4,489	1,776	659	1,568	4,003	124	362
01.04.2018	31.03.2019	10,145	3,994	1,655	3,040	8,689	418	1,038
01.04.2019	31.03.2020	24,519	7,538	3,995	8,483	20,016	1,561	2,942
01.04.2020	31.03.2021	34,527	7,130	7,990	10,246	25,366	5,166	3,995
01.04.2021	31.03.2022	34,515	3,648	11,470	8,237	23,355	8,315	2,845
01.04.2022	20.03.2023	28,192	884	6,990	4,134	12,008	14,242	1,942
		1,36,387				**93,437**	**29,826**	**13,124**
रिपोर्ट की तारीख:- 21/03/2023								

****